

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
(नॉटिकल अनुभाग)

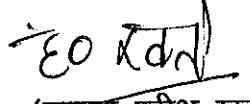
सं. 44- एन टी (8)/2007-पीटी

दिनांक: 02/09/2014

वर्ष 2014 की वाणिज्य पोत परिवहन सूचना सं. 15

विषय:- आईएसपीएस प्रमाणन हेतु प्रधान अधिकारियों को प्राधिकार का प्रत्यायोजन – संबंधी

1. दिनांक 8 जुलाई, 2013 के पत्र सं. 44-एनटी (8)/ 2007 के क्रम में सक्षम प्राधिकारी ने अब आगे, संबंधित पोतों के पंजीकारों द्वारा भारतीय पोतों को अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र (आई एस एस सी) पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र (एस एस सी) (कोस्टल) और सतत सार अभिलेख (सी एस आर) को जारी करने का प्रत्यायोजन किया है।
2. प्राधिकार का यह प्रत्यायोजन तत्काल प्रभाव से लागू होता है। सभी संबंधितों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि ऐसे प्रलेखों को जारी करने के लिए पंजीकार से मिलें।
3. तदनुसार, भारतीय नौवहन पंजीकार को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस विषय पर संबंधित पंजीकारों से पत्राचार करें।
4. यह नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(कप्तान हरीश खत्री)
उप नॉटिकल सलाहकार
भारत सरकार (प्रभारी)

सेवा में,

1. सभी प्रधान आधिकारी, स.वा.वि.
2. भारतीय नौवहन पंजीकार, 52 -ए, आदि शंकराचार्य मार्ग, पवई लेक के सामने, मुंबई-400072.
3. भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी एसोसिएशन (इन्सा), मुंबई.

प्रतिलिपि:

1. इंजीनियरिंग अनुभाग.
2. कोस्टल अनुभाग,
3. कंप्यूटर कक्ष, वेबसाइट पर इस सूचना को अपलोड करने के निवेदन सहित,
4. गार्ड फाईल।